



2026:AHC:20439

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 306/2026

केदारयाचिकाकर्ता(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शैलेंद्र यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:-

"क. परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2/चकबंदी अधिकारी, रामनगर भइसर, जिला जौनपुर को यह आदेश और निदेश दिया जाए कि वह आपत्ति वाद संख्या 256/497/2025-26 (केदार बनाम केदार नाथ), उ.प्र.च.जो.अ. (चकबंदी जोत अधिनियम) की धारा 9ए(2) के अंतर्गत, जो उनके समक्ष लंबित है, का विनिश्चय संक्षिप्त निर्धारित अवधि के भीतर यथाशीघ्र करे।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपरोक्त मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु निदेश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को अंततः निस्तारित करना उचित समझता है, बिना वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई अवलोकन किए, चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या-2), जिनके समक्ष उक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निर्देश देते हुए कि वे उसे शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से पाँच माह की अवधि के भीतर, विनिश्चित करें।

5. यह अपेक्षित है कि इसे विधि के अनुसार, सकारण और आख्यापक आदेश द्वारा, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना विनिश्चित किया जाए।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

28 जनवरी, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)